संoसंo–मoनिo–II–उoयोo–99/2022–23/ 54 वि०(नि०)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, रॉंची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

रॉंची / दिनांक 29-03-23

विषय– **वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य योजनान्तर्गत तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत CIFRI, कोलकाता के माध्यम से Improving livelihood of tribal communities through scampi fisheries enhancement technologies in under – utilized reservoir resources of Jhakhand के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीन वर्षों के लिए मो0 102.30 लाख रु0 मात्र के व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 29.50 लाख (उनतीस लाख पचास हजार) रू0 मात्र की लागत पर एवं शेष आगामी वित्तीय वर्षों में आवश्यकतानुरुप उपबंध प्राप्त करते हुए योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन के तहत् CIFRI, कोलकाता के माध्यम से Improving livelihood of tribal communities through scampi fisheries enhancement technologies in under – utilized reservoir resources of Jhakhand के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीन वर्षों के लिए मो0 102.30 लाख रु0 मात्र के व्यय तथा चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मो0 29.50 लाख (उनतीस लाख पचास हजार) रू0 मात्र की लागत पर एवं शेष आगामी वित्तीय वर्षों में आवश्यकतानुरुप उपबंध प्राप्त करते हुए योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना अन्तर्गत CIFRI, कोलकाता से प्राप्त Improving livelihood of tribal communities through scampi fisheries enhancement technologies in under – utilized reservoir resources of Jhakhand के DPR के आलोक में राज्य के तीन जलाशयों (गुमला – मसरिया, हजारीबाग – घघरा तथा सिमडेगा– केलाघाघ) में पहली बार Pilot Project के रुप में Giant Freshwater Prawn fisheries के पालन हेतु अध्ययन किया जाएगा।

3 प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जलाशयों में पहली बार CIFRI, कोलकाता के माध्यम से Giant Freshwater Prawn का तीन वर्षों के लिए पालन कर अध्ययन किया जायेगा।

4. CIFRI, कोलकाता द्वारा इस परियोजना के लिए वर्षवार/कार्यवार प्रस्तावित बजट निम्न है जिसमें से चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन मात्र मो0 29.50 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्रथम वर्ष की शेष राशि तथा आगामी दो वर्षों हेतु आवश्यक राशि के लिए उपयुक्त मदों में बजट प्राप्त कर किया जायेगा –

(in lakhs)

Sl. No	Major Heads	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata (in lakh Rs.)			
		1st Year	2nd Year	3rd Year	Total
1	Trained Manpower – Young Professional (YP – I) (3 nos.) @ Rs. 25,000/- per month	9.00	9.00	9.00	**27.00**
2	Procurement of pen, 0.4 ha / reservoir and maintenance	7.00	0.50	0.50	**8.00**
3	Seed procurement @ 500 nos / ha	6.00	6.00	0.00	**12.00**
4	Supplementary feeding cost @ 8 % BW in pen (PL – Juvenile)	1.50	1.50	0.00	**3.00**
5	TA / DA of CIFRI personnel (2 scientists, 1 technical staff, contractual staff per tour)	3.00	2.50	1.50	**7.00**
6	Minor items and consumables (Chemicals, glasswares, plastic wares etc.)	6.00	4.00	2.00	**12.00**
7	Operational contingencies (Vehicle / boat hiring, experimental fishing, labour charges etc)	3.00	2.00	1.00	**6.0**
8	Conducting Inception & Closing workshop – 2 no	2.50	0.00	2.50	**5.00**
9	Capacity building / Mass Awareness Program 3 nos	2.00	2.00	2.00	**6.00**
10	Knowledge support charges	2.00	2.00	1.00	**5.00**
11	Documentation & Report preparation	0.00	0.00	2.00	**2.00**
	Sub Total	**42.00**	**29.50**	**21.50**	**93.00**
12	Institutional charges (@10%)	4.20	2.95	2.15	**9.30**
	Total	**46.20**	**32.45**	**23.65**	**102.30**

5. स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिए समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

मॉग सं0–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–20–मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं विपत्र कोड

(राशि लाख रू0 में)

कम	लघु शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं0 16 रा0 (वि0) दिनांक 01.08.2022 द्वारा स्वीकृत बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक पश्चात् स्वीकृति हेतु शेष बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन				
1	**विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते**–09 मानदेय 53S24050010120010109	18.000	17.004	0.996	0.00
	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				
2	19 मुद्रण 53S24050010120010319	11.000	11.000	0.00	0.00
3	20 मेला एवं प्रदर्शनी 53S24050010120010320	22.000	22.000	0.00	0.00
4	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050010120010321	15.700	15.700	0.00	0.00
5	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010120010323	164.000	153.222	10.778	6.84
6	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050010120010335	81.000	79.6375	1.3625	0.00
7	**विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय**–59 अन्य व्यय 53S24050010120010759	7.900	7.800	0.10	0.00
	उप योग :	**319.600**	**306.3635**	**13.2365**	**6.84**

कम	लघु शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत्यादेश सं0 16 रा0 (वि0) दिनांक 01.08.2022 द्वारा स्वीकृत बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक पश्चात् स्वीकृति हेतु शेष बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि
(ख)	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
1	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते–09 मानदेय 53S24050078920010109	1.000	0.000	1.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				
2	21 सेमिनार / समारोह / कार्यशाला 53S24050078920010321	3.400	3.400	0.00	0.00
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078920010323	30.000	29.000	1.00	0.00
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050078920010335	43.000	28.4375	14.5625	0.00
5	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59 अन्य व्यय 53S24050078920010759	3.000	3.000	0.00	0.00
	उप योग :	80.400	63.8375	16.5625	0.00
(ग)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना				
1	विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते–09 मानदेय 53S24050079620010109	52.000	32.624	9.376	9.00
	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				
2	19 मुद्रण 53S24050079620010319	20.000	20.000	0.00	0.00
3	20 मेला एवं प्रदर्शनी 53S24050079620010320	33.000	33.000	0.00	0.00
4	21 सेमिनार / समारोह / कार्यशाला 53S24050079620010321	32.900	32.900	0.00	0.00
5	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079620010323	225.000	152.975	32.025	13.66
6	29 व्यवसायिक सेवाएँ 53S24050079620010329	20.000	20.000	0.00	0.00
7	31 परामर्शी शुल्क 53S24050079620010331	10.000	10.000	0.00	0.00
8	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050079620010335	127.000	127.000	0.00	0.00
9	80 मूल्यांकन 53S24050079620010380	10.000	10.000	0.00	0.00
10	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59 अन्य व्यय 53S24050079620010759	10.100	7.800	2.30	0.00
11	81 सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ 53S24050079620010781	10.000	10.000	0.00	0.00
	उप योग :	550.000	456.299	43.701	22.66
	सकल योग :	950.000	826.500	73.50	29.50

कुल मो0 29.50 लाख (उनतीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र।

6. जलाशयों में Giant Freshwater Prawn का पालन के लिए पेन लगाने के कम में यह ध्यान रखा जाय कि जलाशयों के तल में बोल्डर्स नहीं हो तथा उनका स्लोप जेंटल हो।

7. CIFRI, कोलकाता द्वारा यह योजना मूलतः tribal communities की आजीविका में सुधार हेतु तैयार की गई है। इसलिए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनित जलाशयों पर अनुसूचित जनजाति के लाभुक अवश्य कार्यरत हों तथा जलाशयों से महाझींगा उत्पादन प्राप्त कर लाभान्वित हो सके । साथ ही संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी इस योजना से लाभान्वित हो रहे लाभुकों के सम्बंध में प्रतिवेदन तैयार कर निदेशक, मत्स्य के माध्यम से सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

8. योजना का कियान्वयन सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची द्वारा CIFRI, कोलकाता एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गुमला एवं हजारीबाग तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुये किया जायेगा।

9. योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु यदि आवश्यक हो तो समय–समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा अनुदेश जारी किये जायेंगे।

10. CIFRI, कोलकाता के अनुसार इस पायलट प्रोजेक्ट का संभावित उत्पादन 12–15 kg/ha होगा। किन्तु वास्तविक उत्पादन प्रोजेक्ट की पूर्णता पर ही प्राप्त हो सकेगा। प्रथम वर्ष के योजना कार्यान्वयन पश्चात् CIFRI, कोलकाता द्वारा इस योजना के कियान्यवन संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची के माध्यम से मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् ही आगे के वर्षों हेतु राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

11. CIFRI, कोलकाता द्वारा यह योजना तीन वर्षों 2023 से 2026 तक के लिए प्रस्तावित है। अतएव पायलट प्रोजेक्ट के रुप में योजना की चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्राप्त कर उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में आवश्यकतानुरुप आगामी वित्तीय वर्षों 2023–24 एवं 2024–25 में भी इस हेतु राशि उपबंधित कराते हुये व्यय की जा सकेगी।

12. प्राथमिक स्तर पर प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं द्वितीय स्तर पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण किया जाएगा। मदवार प्रगति के आँकड़ों का मासिक संकलन जिला स्तर पर करते हुए इसका प्रतिवेदन सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची के माध्यम से निदेशक मत्स्य को प्रेषित किया जाएगा।

निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक, योजना, प्रसार एवं अनुश्रवण/जलाशय/सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी) इस योजना के अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।

13.. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक कय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रकियाओं के अंतर्गत किया जायेगा।

14.. इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची होंगे जो आवंटित राशि के विरुद्ध संबंधित कोषागार से राशि की एकमुश्त निकासी कर झास्कोफिश के पी0एल0 खाते में जमा करेगें। CIFRI, कोलकाता से मांग के अनुरूप तथा प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से CIFRI, कोलकाता को राशि उपलब्ध करायेंगे।

15. यह एक चालू राज्य योजना है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में अग्रिम निकासी नहीं की गई है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

16. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड होंगे।

17. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य CIFRI, कोलकाता से इस हेतु प्राप्त DPR के अनुरुप किया जाय।

18. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

19. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0 –01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।

20. वित्तीय वर्ष 2021–22 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 में कुल स्वीकृत राशि मो0 1050.00 लाख (संशोधित बजट मो0 839.44 लाख) रु0 मात्र के विरूद्ध मो0 619.68 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

21. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

22. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

23. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 54 (TO 1/90) / राँची, दिनांक 29-03-2023

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 54 (प०)(90) /   राँची, दिनांक 29-03-2023

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं निदेशक, CIFRI, कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 54 (प०)(90) /   राँची, दिनांक 29-03-2023

प्रतिलिपि : योजना–सह–विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आ० वि० सलाहकार] कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव